

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/तुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 284]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019 — आषाढ 25, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 (आषाढ 25, 1941)

क्रमांक-8013/वि. स./विधान/2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) जो मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को पुरस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता. /-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 13 सन् 2019)

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा।
 (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- धारा 12-क का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) में, धारा 12-क में, उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
- “(4) कुलपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, स्वर्णता या अन्यथा किसी भी कारण से रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्त भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है या यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो राज्य शासन की अनुशंसा पर, कुलाधिपति द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी संकाय का संकायाध्यक्ष या विश्वविद्यालयीन अध्यापन विभाग का कोई वरिष्ठतम आचार्य या राज्य सरकार के विशेष सचिव से अन्यून स्तर का कोई अधिकारी कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिस पर कोई कुलपति, जो ऐसी रिक्त भरने के लिए धारा 12 की उप-धारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया है, यथास्थिति, अपना पद ग्रहण या पुनः पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

परन्तु इस उप-धारा में अनुध्यात व्यवस्था छः मास से अधिक की कालावधि के लिये जारी नहीं रहेगी।”

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, किसी भी कारण से कुलपति का पद रिक्त हो जाने से उद्भूत तत्कालिक व्यवस्था को बनाये रखने तथा कुलपति की नियुक्ति के सीमा विस्तार हेतु, छत्तीसगढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) की धारा 12-क में संशोधन करना आवश्यक हो गया है;

और यतः, राज्य शासन द्वारा विनिश्चय किया गया है कि विश्वविद्यालयों के कार्यों को सुगम बनाने को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) में संशोधन किया जाये।

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुये, छत्तीसगढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) को संशोधित करना आवश्यक है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर,

दिनांक 6 जुलाई, 2019

उमेश पटेल
 उच्च शिक्षा मंत्री
 (भारसाधक सदस्य)

उपाबन्ध

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्र. 19 सन् 1956) की धारा 12-(क) में उप-धारा (4) का सुसंगत उद्धरण :-

कुलपति के कार्यकाल में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र, अवकाश, बीमारी या अन्य किसी कारण से अस्थायी रिक्त सहित किसी भी प्रकार की रिक्ति होने की स्थिति में कुलाधिसचिव, और किसी कुलाधिसचिव की नियुक्ति नहीं होने की स्थिति में और यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है तो किसी भी संकाय के अधिष्ठाता (डीन) अथवा कुलाधिपति द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु नामित विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के वरिष्ठतम प्राध्यापक (प्रोफेसर) कुलपति के रूप में कार्य करेंगे, जब तक धारा-12 की उप-धारा (1) या उप-धारा (7) के तहत नियुक्त अपना कार्यभार धारण अथवा पुनर्धारण नहीं कर लेते।

बशर्ते कि, इस उप-धारा में उद्धृत व्यवस्था छह माह से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं रहेगी।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा।